

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- गोवपुर

वि0ख0- ओराई

जनपद- मर्होली

ग्राम पंचायत में दिनांक 08/04/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ गरीबी रेखा के नीचे/भूमिहीन)	उम्र	पदनाम (अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष/ सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	पद्मावती		40	अध्यक्ष	9935980672
2	कन्हैया लाल	पिछड़ा वर्ग	15	सचिव	7985407820
3	सोनी सुप्री	पिछड़ा वर्ग	28	कोषाध्यक्ष	9305318111
4	कन्हैया लाल प्रजापति	पिछड़ा वर्ग	28	सामान्य सदस्य	
5	श्याम विहारी	अनु0जाती	40	सामान्य सदस्य	8756899889
6	लालजी	अनु0जाती	55	सामान्य सदस्य	
7	शीला	अनु0जाती	56	सामान्य सदस्य	8416829424
8	चण्डगुला	पिछड़ा वर्ग	35	सामान्य सदस्य	9793407111
9	रम्भा देवी	पिछड़ा वर्ग	42	सामान्य सदस्य	9519470200
10	हैमलता	पिछड़ा वर्ग	28	सामान्य सदस्य	9118563210
11	लक्ष्मीशंकर	पिछड़ा वर्ग	45	सामान्य सदस्य	9935393867
12	दिनेश	पिछड़ा वर्ग	29	सामान्य सदस्य	8896541418
13	मातामती	पिछड़ा वर्ग	37	सामान्य सदस्य	9794709885
14	सीताराम	अनु0जाती	57	सामान्य सदस्य	8127969697
15	चोपीराम	अनु0जाती	60	सामान्य सदस्य	9695855281

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	पन्धारी	अध्यक्ष	
2	जानेन्द्र सिंह यादव	सचिव	
3	सोन गुप्ता	कोषाध्यक्ष	
4	कन्दैया लाल प्रजापति	सामान्य सदस्य	
5	श्याम बिद्यारी	सामान्य सदस्य	
6	लालजी	सामान्य सदस्य	
7	शीला	सामान्य सदस्य	
8	पट्टु गुप्ता	सामान्य सदस्य	
9	रश्मा देवी	सामान्य सदस्य	
10	हेमलता	सामान्य सदस्य	
11	लक्ष्मीशंकर	सामान्य सदस्य	
12	दिनेश	सामान्य सदस्य	
13	शागप्रानी	सामान्य सदस्य	
14	सीताराम	सामान्य सदस्य	
15	चौचीराघ	सामान्य सदस्य	

